अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

मांग संख्या 67

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	1584.41	14.03	1598.44	2485.00	15.37	2500.37	2385.00	14.50	2399.50	2735.00	16.00	2751.00
	पूंजी	***125.00***	...	*125.00*	*115.00*	...	*115.00*	*115.00*	...	*115.00*	*115.00*	...	*115.00*
	जोड़	**1709.41**	**14.03**	**1723.44**	**2600.00**	**15.37**	**2615.37**	**2500.00**	**14.50**	**2514.50**	**2850.00**	**16.00**	**2866.00**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.49	6.30	6.79	0.50	6.60	7.10	0.50	6.60	7.10	0.60	7.16	7.76
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
2. मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान	2225	115.00	...	115.00	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	200.00	...	200.00
3. अल्पसंख्यकों के लिए नि:शुल्क कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम	2225	11.22	...	11.22	13.00	...	13.00	13.48	...	13.48	14.48	...	14.48
	3601	...	...	...	0.35	...	0.35	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.15	...	0.15	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*11.22*	...	*11.22*	*13.50*	...	*13.50*	*13.50*	...	*13.50*	*14.50*	...	*14.50*
4. अल्पसंख्यकों के लिए विकास स्कीमों के प्रचार सहित अनुसंधान/ अध्ययन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन	2225	11.97	...	11.97	21.50	...	21.50	21.50	...	21.50	35.70	...	35.70
5. पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्ति	2225	0.03	...	0.03	0.18	...	0.18	0.18	...	0.18	0.50	...	0.50
	3601	96.57	...	96.57	119.82	...	119.82	119.82	...	119.82	124.00	...	124.00
	3602	0.83	...	0.83	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50
	जोड़	*97.43*	...	*97.43*	*121.50*	...	*121.50*	*121.50*	...	*121.50*	*126.00*	...	*126.00*
6. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	0.02	...	0.02	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	3601	199.93	...	199.93	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	533.00	...	533.00
	3602	2.78	...	2.78	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.00	...	5.00
	जोड़	*202.73*	...	*202.73*	*405.00*	...	*405.00*	*405.00*	...	*405.00*	*540.00*	...	*540.00*
7. अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति	2225	0.03	...	0.03	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	2.00	...	2.00
	3601	148.18	...	148.18	234.50	...	234.50	234.50	...	234.50	398.00	...	398.00
	3602	0.46	...	0.46	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*148.67*	...	*148.67*	*238.50*	...	*238.50*	*238.50*	...	*238.50*	*405.00*	...	*405.00*
8. चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2225	0.01	...	0.01	10.00	...	10.00	7.80	...	7.80	8.50	...	8.50
	3601	970.38	...	970.38	1223.20	...	1223.20	1161.49	...	1161.49	1054.10	...	1054.10
	3602	1.55	...	1.55	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00
	जोड़	*971.94*	...	*971.94*	*1245.20*	...	*1245.20*	*1179.29*	...	*1179.29*	*1077.60*	...	*1077.60*
9. अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	2225	14.90	...	14.90	26.98	...	26.98	26.98	...	26.98	46.98	...	46.98
	3601	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	*14.90*	...	*14.90*	*27.00*	...	*27.00*	*27.00*	...	*27.00*	*47.00*	...	*47.00*
10. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रम के कार्यान्वियन में लगे राज्य सारणीकरण अभिकरणों (एससीए) को सहायता अनुदान	2225	2.00	...	2.00	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	1.80	...	1.80
जोड़-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		**1575.86**	**...**	**1575.86**	**2200.80**	**...**	**2200.80**	**2134.89**	**...**	**2134.89**	**2447.60**	**...**	**2447.60**
अन्य सामाजिक सेवाएं													
11. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी	2250	...	1.74	1.74	...	2.00	2.00	...	1.68	1.68	...	1.99	1.99
12. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग	2250	...	4.49	4.49	...	5.26	5.26	...	5.19	5.19	...	5.65	5.65
जोड़-अन्य सामाजिक सेवाएं		**...**	**6.23**	**6.23**	**...**	**7.26**	**7.26**	**...**	**6.87**	**6.87**	**...**	**7.64**	**7.64**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण													
13. अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास योजना	2235	...	...	...	13.30	...	13.30	4.97	...	4.97	13.48	...	13.48
	3601	...	...	...	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	3602	...	...	...	0.10	...	0.10	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
	जोड़	...	...	...	*13.50*	...	*13.50*	*4.99*	...	*4.99*	*13.50*	...	*13.50*
14. वक्फ को सहायता अनुदान	2235	...	1.50	1.50	...	1.50	1.50	...	1.02	1.02	...	1.19	1.19
15. राज्य वक्फ बोर्ड के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण	2235	8.06	...	8.06	11.70	...	11.70	5.98	...	5.98	4.80	...	4.80
16. केंद्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान	2235	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
17. राज्य वक्फ बोर्ड का सुदृढ़कीकरण	2225	...	...	...	0.25	...	0.25	0.02	...	0.02	...	...	...
	2235	...	...	...	0.05	...	0.05	0.02	...	0.02	...	...	...
	3601	...	...	...	5.50	...	5.50	0.02	...	0.02	...	...	...
	3602	...	...	...	0.50	...	0.50	0.02	...	0.02	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*6.30*	...	*6.30*	*0.08*	...	*0.08*	...	...	...
18. विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता	2235	...	...	...	1.80	...	1.80	0.01	...	0.01	...	...	...

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
19. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवर्धनात्मक कार्यकलाप	2225	...	...	...	0.40	...	0.40	0.01	...	0.01	...	...	...
	2235	...	...	...	0.40	...	0.40	0.01	...	0.01	...	...	...
	3601	...	...	...	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
	3602	...	...	...	0.05	...	0.05	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*0.90*	...	*0.90*	*0.04*	...	*0.04*	...	...	...
20. लघु अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या गिरावट को नियंत्रित करने की योजना	2235	...	...	...	1.00	...	1.00	0.01	...	0.01	...	...	...
21. सरकारी उद्यमों में निवेश	4225	125.00	...	125.00	103.50	...	103.50	103.50	...	103.50	103.50	...	103.50
जोड़-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण		**133.06**	**1.50**	**134.56**	**138.70**	**1.51**	**140.21**	**114.61**	**1.03**	**115.64**	**121.80**	**1.20**	**123.00**
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	248.50	...	248.50	238.50	...	238.50	268.50	...	268.50
	4552	...	...	...	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50
	जोड़	...	...	...	*260.00*	...	*260.00*	*250.00*	...	*250.00*	*280.00*	...	*280.00*
कुल जोड़		***1709.41***	***14.03***	***1723.44***	***2600.00***	***15.37***	***2615.37***	***2500.00***	***14.50***	***2514.50***	***2850.00***	***16.00***	***2866.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
21.01 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	22225	125.00	...	125.00	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00	115.00	...	115.00
जोड़		**125.00**	**...**	**125.00**	**115.00**	**...**	**115.00**	**115.00**	**...**	**115.00**	**115.00**	**...**	**115.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	0.49	...	0.49	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.60	...	0.60
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	22225	1575.86	...	1575.86	2200.80	...	2200.80	2134.89	...	2134.89	2447.60	...	2447.60
3. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22235	133.06	...	133.06	138.70	...	138.70	114.61	...	114.61	121.80	...	121.80
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	260.00	...	260.00	250.00	...	250.00	280.00	...	280.00
जोड़		**1709.41**	**...**	**1709.41**	**2600.00**	**...**	**2600.00**	**2500.00**	**...**	**2500.00**	**2850.00**	**...**	**2850.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान:** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, अराजनीतिक, लाभ न कमाने वाली, सामाजिक सेवा संस्था है, जिसकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रतिष्ठान की आय का एकमात्र स्रोत भारत सरकार द्वारा दी गई मूल निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज राशि है। प्रतिष्ठान की योजनाएं वर्तमान संस्थानों के विस्तार और उन्नयन तथा पिछड़े अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए हैं।

http://indiabudget.nic.in

3. **नि:शुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को अपना ज्ञान, कौशल को बढ़ाने और प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी/निजी क्षेत्र की नौकरियों में अवसर प्रदान करना तथा ख्यातिप्राप्त संस्थानों में प्रवेश हेतु सहायता प्रदान करना है| ऐसे संस्थानों के अभ्यर्थियों को उनका पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करने का प्रावधान भी इसमें है|

4. **अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन:** इस योजना का उद्देश्य, 15-सूत्रीय कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ योजनाओं और कार्यक्रमों का अध्ययन, मूल्यांकन और निगरानी करना तथा ऐसे कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों से संबंधित सूचनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए गहन मल्टी-मीडिया अभियान चलाना भी है|

5. **स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियां:** यह छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए मैरिट-और-साधन की पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं|

6. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं|

7. **अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को प्रदान की जा रही है, जो 11वीं तथा 12वीं कक्षा और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए मैरिट-सह-साधन की पात्रता मानदंड पूरा करते हों| यह छात्रवृत्ति उन पात्र छात्रों को भी प्रदान की जाएगी, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय/कॉलिजों /संस्थानों/विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्तनाकोत्तर, पी.एचडी. स्तर की सामान्य पाठ्यक्रम की शिक्षा पूरी करना चाहते हों|

8. **चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम:** यह एक विशेष क्षेत्र में विकास कार्यक्रम है| इस कार्यक्रम का उद्देश्य आधारभूत सर्वेक्षण के माध्यम से अभिनिर्धारित अल्पसंख्यक बहुल उन 90 जिलों में अपर्याप्त विकास की समस्या का समाधान करना है, जहां पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी है और जो अपेक्षाकृत पिछड़े हैं|

9. **अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम.फिल. और पी.एचडी. स्तर की उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता स्वरूप अध्येतावृत्ति प्रदान करना है| योजना के तहत वे सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता मिली हो| योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही है| यह अध्येतावृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियमित एवं पूर्णकालिक एम.फिल. और पी.एचडी. पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए शोध छात्रों को प्रदान की जाने वाली अध्येतावृत्ति की तर्ज पर है|

10. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्रम के कार्यान्वियन कार्य में लगे राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता अनुदान:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपना कार्य संचालित करता है| राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां अवसंरचना, श्रम शक्ति और संसाधनों के अभाव से ग्रस्त हैं, जिस कारण यह निगम अपना कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रहा है| सहायता अनुदान, इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपनी कार्यक्षमता और कार्य संचालन की स्थिति को सुदृढ करने के लिए प्रदान किया जा रहा है|

11. **भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी:** यह प्रावधान भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी पर होने वाले प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है|

12. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग पर होने वाले प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के लिए है|

13. **अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए नेतृत्व विकास की योजना:** विकास कार्य का लाभ वंचित महिलाओं को पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए मदद और नेतृत्व-प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जाएगा ताकि वे अपने घर-समाज से बाहर आकर विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत उपलब्ध सेवा, कौशल और अवसर का लाभ उठाने के लिए आगे आकर नेतृत्व की भूमिका निभा सके|

14. **वक्फ को सहायता अनुदान:** यह योजना शहरी वक्फ परिसंपत्तियों के विकास के लिए वक्फ संस्थानों को आगे ऋण प्रदान करने हेतु केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के आशय से है|

15. **राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण:** इस योजना का कार्यान्वियन वक्फों से सम्बद्ध संयुक्त संसदीय समिति के 9वें प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं के अनुसरण में किया जा रहा है| इस योजना के तहत वक्फ अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए राज्य वक्फ बोर्डों तथा राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र/एनआईसीएसआई को वित्तीय सहायता जारी की जाएगी|

16. **केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान:** यह केन्द्रीय वक्फ परिषद के प्रशासनिक व्यय के आशय से है|

21. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** यह प्रावधान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को शेयर पूँजी उपलब्ध कराने के लिए है|

22. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभार्थ एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए है|